पत्र सं0–06/पी0 (नई यो0)– 07/17– 264(6)ब
झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

शुद्धि–पत्र

विभागीय आवंटनादेश सं0– 219(6)ब दि0 05.02.18 के द्वारा राज्य स्कीम अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित सभी स्तर के अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों/मेडिकल कॉलेजों/कार्यालय भवनों आदि जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की जीर्णोद्धार/विशेष मरम्मति की योजना के लिए कुल 9,73,12,612/– (नौ करोड़ तिहत्तर लाख बारह हजार छह सौ बारह) रुपए मात्र की राशि आवंटित की गई है। जिसमें संलग्न परिशिष्ट– 1 के क्रमांक 16 से 29 एवं 37 पर अंकित कार्य विद्युत अधिष्ठापन/विद्युत मरम्मति से संबंधित है । उक्त कार्य के लिए कार्य एजेन्सी विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत प्रमण्डल, राँची हैं, जिनका कोषागार सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची है ।

2. उक्त आवंटनादेश की कंडिका 3 में अंकित है कि ''इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थान के प्राचार्य/अधीक्षक/संबंधित जिला के सिविल सर्जन (संलग्न परिशिष्ट के अनुसार) होंगे, जो डिपोजिट कार्य हेतु विपत्र के माध्यम से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के भीतर संबंधित भवन प्रमण्डल/विद्युत प्रमण्डल/पेयजल स्वच्छता प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता को पुस्तांतरण द्वारा रिमिटान्स शीर्ष– 8782, स्थानीय जमा निधि–102 में प्रतिहस्ताक्षरित चालान के माध्यम से राशि जमा करेंगें ।'' परन्तु अलग–अलग कोषागार/अन्तर जिला स्थानान्तरण होने के कारण राशि के पुस्तान्तरण में कठिनाई हो रही है।

3. अतएव उक्त आवंटनादेश के परिशिष्ट– 1 के क्रमांक 16 से 29 तथा 37 पर अंकित कार्यो के लिए आवंटित राशि हेतु आवंटनादेश की कंडिका 3 को संशोधित रुप में निम्नवत पढ़ा जाए:– ''इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो डिपोजिट कार्य हेतु विपत्र के माध्यम से राशि की निकासी कर संबंधित विद्युत प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता को पुस्तांतरण द्वारा रिमिटान्स शीर्ष– 8782, स्थानीय जमा निधि–102 में प्रतिहस्ताक्षरित चालान के माध्यम से जमा करेंगें ।''

4. उक्त आवंटनादेश की शेष शर्त्ते यथावत रहेंगे ।

(निधि खरे) 7/3/18
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या 264(6)ब राँची, दिनांक: 09/03/18

प्रतिलिपिः माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/योजना सह वित्त विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियान निदेशक, एन0आर0एच0एम0/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/अवर सचिव, स्वास्थ्य चिकत्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियन्ता, संबंधित भवन प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग/विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत प्रमण्डल, राँची/धनबाद/कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, जमशेदपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/ प्राचार्य/अधीक्षक, एम0जी0एम0एम0सी0एच0, जमशेदपुर/संबंधित सिविल सर्जन,, झारखण्ड/अधीक्षक, इटकी आरोग्यशाला, राँची/प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(निधि खरे) 7/3/18
सरकार के प्रधान सचिव।

264(6)ब
09/03/18

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।